भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.258

(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़,1947 (शक) को दिया जाना है।)

"नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी"

258. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सौर पैनल, बायोगैस संयंत्र और पवन चक्की जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी और तृतीय-पक्ष बीमा प्रीमियम पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री(पंकज चौधरी)

(क) जीएसटी की दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सौर पैनल, बायोगैस संयंत्र और पवनचक्की घटकों जैसे विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर 12% है।

(ख) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि जीएसटी की दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 5% है। दिनांक 25.05.2022 की अधिसूचना के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने मोटर वाहन (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता) नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं, जिसमें विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए असीमित देयता के लिए तृतीय पक्ष बीमा हेतु आधार प्रीमियम विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिसूचित पूर्ण मोटर तृतीय पक्ष प्रीमियम राशि संबंधित पारंपरिक ईंधन-आधारित मोटर वाहन मॉडलों की तुलना में 15% कम है।

*****